2.1.8.4 पत्रावली पेश करे। वकील साहब अपने वकील साहब / साहबा ने प्रार्थी पक्ष वाद मे प्रस्तुत कर वाद विद्ध कर लिया है। अतः प्रार्थीपक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा को चलाने का कोई औचित्य नही है। अतः प्रार्थीपक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा विद्ध कर खारिज की जाती है। पत्रावली वाद फैसल सलंग्न अभिवाद दे।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०